RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३६] सोमवार, नोव्हेंबर २३, २०१५/अग्रहायण २, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १० नवंबर २०१५.

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXI OF 2015.

AN ORDINANCE

TO AMEND THE MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१, सन् २०१५।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् २०१४ का महा. ६।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २०१४ का महा. ६ की धारा २८ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ की धारा २८ की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्नलिखित उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. ६ ।

" (३) (क) कुलपति, ऐसी व्यक्ति होगी जो,–

(एक) कोई अकादमिशियन है ; और

(दो) या तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पद पर महाविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है या विश्वविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है ;

(ख) कुलपति, पाँच वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसकी कार्यकारी परिषद द्वारा उस प्रभाव के लिए संकल्प द्वारा पाँच वर्षों की पदावधि के लिए या उसके आयु के पैंसठ वर्षों की सेवा तक जो भी पहले हो, नवीकरणीय की जायेगी ।

(ग) खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति उनके उत्तराधिकारी के उस पद पर प्रवेश करने तक अपने पद पर बना रहेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ' विश्वविद्यालय ' शब्द का अर्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २ के, खंड (च) में यथा समुनदेशित समान अर्थ से होगा । ". सन् १९५६ का ३ ।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ६) की धारा २८ की उप-धारा (३), उक्त अधिनियम के अधीन, कुलपति की अर्हता तथा पदावधि के लिए उपबंध करती है ।

२. अधिनियम में विद्यमान उपबंधों के अनुसार, कुलपति, ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पद पर, महाविद्यालय में विधि का प्राध्यापक है, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होती है । पात्र उम्मीदवारों के कई विकल्पों की सुनिश्चिति करने की दृष्टि के साथ, सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पद पर महाविद्यालय में विधि के प्राध्यापक को कुलपति के पद पर नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होने के लिए, उपबंध करना भी इष्टकर समझती है ।

यह भी इष्टकर समझा गया है कि, कुलपति पाँच वर्षों की पदावधि के लिये पद धारण करेगा, जिसकी कार्यकारी परिषद द्वारा उस प्रभाव के लिये संकल्प द्वारा पाँच वर्षों की पदावधि के लिये या उसके आयु के पैंसठ वर्षों, की सेवा तक जो भी पहले हो, नवीकरणीय की जायेगी । तद्नुसार, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ६) में यथोचित उपबंध करना प्रस्तावित किया गया है ।

३. विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (सन् २०१४ का महा. ६), में संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं ।

मुंबई,
दिनांकित ७ नवंबर २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से ।

संजय चहांदे,
शासन के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.